भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2468

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मेकेदातु परियोजना

2468. श्री पी. विल्सनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को कावेरी बेसिन में जल संसाधन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों, जिनमें अनुमानित सहमति संबंधी खंड भी शामिल है, पर तमिलनाडु सरकार द्वारा जताई गई कड़ी आपत्तियों की जानकारी है;

(ख) क्या ये दिशानिर्देश तमिलनाडु और अन्य निचले तटवर्ती राज्यों के साथ विचार-विमर्श किए बिना जारी किए गए, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना पर 4 मार्च, 2026 के अभ्यावेदन के आधार पर न्यायाधिकरण गठित करने की तमिलनाडु की तत्काल मांग पर ध्यान दिया है, क्योंकि मेकेदातु परियोजना न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनका उचित उत्तर दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 का गठन किया,

जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) शामिल हैं, ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के निर्णय में संशोधित सीडब्ल्यूडीटी के आदेश को कार्यान्वित किया जा सके। दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना के पैरा 3 (घ) और पैरा 17 (2) के अनुसार, सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी में कावेरी बेसिन वाले राज्यों, नामतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना के पैरा 10 में विनिर्दिष्ट सीडब्ल्यूएमए की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों के अनुसार, सीडब्ल्यूएमए को कावेरी बेसिन में न्यायाधिकरण के निर्णय (जिसे माननीय न्यायालय द्वारा संशोधित किया है) को नियामक और कार्यान्वित करने की भूमिका निभाने की ज़िम्मेदारी दी गई है। सीडब्ल्यूएमए की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, सीडब्ल्यूसी ने कावेरी बेसिन में जल संसाधन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पूरक के तौर पर "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, अनुमोदन और स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश 2017" जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) यह सूचित करेगा कि परियोजना में प्रस्तावित जल का उपयोग सीडब्ल्यूडीटी के निर्णय (जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित किया है) के अनुरूप है या नहीं। यदि सीडब्ल्यूएमए से सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं, तो सीडब्ल्यूसी अंतर्राज्यीय नदी बेसिन और न्यायाधिकरण के निर्णय (जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित किया है) के लिए सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर का मूल्यांकन करेगा।

(ग): जी, हाँ। तमिलनाडु निपटारे सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी कावेरी और उसकी घाटी के जल से संबंधित जल विवाद के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत एक न्यायाधिकरण गठित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी।
